

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>गंगाधर सोलंकी बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बिलाड़ा)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 41/2020</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>02.03.20</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गंगाधर सोलंकी पुत्र श्री मांगीलाल जाति दर्जी, पता ए-10, अशोकनगर, चितौड़गढ़-312001 ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.12.2019 में उसके द्वारा (1) आपने संपर्क पोर्टल शिकायत नं. 101933-66546399 पर जो राजस्व दस्तावेज श्रीमती गीतादेवी गर्ग के एवं श्री अर्जुनलाल जी गर्ग की जाति के संबंध में अपलोड किये(1) श्रीमती गीतादेवी पत्नी अर्जुनलाल जाति गरूड़ा खसरा संख्या 1500 रकबा 2.0225 है जमाबंदी संवत 2076 से 2079, मुसला रसीद दि० 26-4-35 भू प्रबन्ध सेटलमेंट खारिया मीठापुर जमाबंदी 2016 के संबंधित दस्तावेज, व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(तहसीलदार बिलाड़ा) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	